

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2015/पौष 29, 1936

No. 120]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2015/PAUSA 29, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2015

आय-कर

का.आ. 180(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115पक की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (पहला संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 12ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"धारा 115पक की उपधारा (4) के अधीन विवरण।

12.गक (1) कारबार न्यास द्वारा उसके यूनिट धारक को वितरित आय का विवरण, ऐसे प्रधान आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के भीतर, कारबार न्यास का प्रधान कार्यालय स्थित है, उस पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसके दौरान ऐसी आय वितरित की जाती है, पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक दिया जाएगा :

परंतु वितरित आय का विवरण उस पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसके दौरान ऐसी आय वितरित की जाती है, पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) वितरित आय का विवरण कारबार न्यास द्वारा धारा 115पक की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित को दिया जाएगा--

(i) उपधारा (1) के अधीन प्रधान आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त को प्ररूप सं. 64क में, उसमें उपदर्शित रीति में किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित, तथा अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा;

(ii) यूनिट धारक को, प्ररूप सं. 64ख में कारबार न्यास की ओर से आय का वितरण करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित, उसमें उपदर्शित रीति में दिया जाएगा।

(3) आय-कर महानिदेशक (तंत्र), प्ररूप सं. 64क फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा इस प्रकार दिए गए विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुनःप्राप्ति नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।";

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 64 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 64क

[नियम 12गक (2)(i) देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पक के अधीन कारबार न्यास द्वारा दिया जाने वाला वितरित आय का विवरण

1. कारबार न्यास का नाम
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
3. स्थायी लेखा संख्यांक
4. समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष
5. कारबार न्यास के न्यासियों का नाम और पता
6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) में कारबार न्यास के रजिस्ट्रीकरण की तारीख
 - (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भूसंपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन
 - (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन
7. क्या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय कारबार न्यास की यूनिटें किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं हां/नहीं
8. सभी स्रोतों से कारबार न्यास की कुल आय (9+11+13)
9. धारा 10(23चग) में निर्दिष्ट ब्याज से आय
10. (9+8) का अनुपात
11. धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश से आय
12. (11 से 8) का अनुपात
13. 9 और 11 में निर्दिष्ट आय से भिन्न आय
14. (13 से 8) का अनुपात
15. धारा 115पक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट, ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे जो निम्नलिखित प्ररूप में यूनिट धारक हैं, और जिन्हें आय-कर का वितरण किया गया है :--

क्र.सं.	नाम	पता (पते)	स्थायी लेखा संख्यांक (पेन)	वितरित कुल रकम	धारा 10(23चग) में निर्दिष्ट ब्याज की प्रकृति वाली आय की रकम (स्तंभ 5 x क्र.सं.10)	धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश की प्रकृति वाली आय की रकम (स्तंभ 5 x क्र.सं.12)	अन्य आय की रकम (स्तंभ 5 x क्र.सं.14)
1	2	3	4	5	6	7	8

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख की एक प्रति संलग्न करें।

संपरीक्षित लेखाओं को, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हों, भी हैं, आय के वितरण के आय और विनियोग की प्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न करें।

मैं.....(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो..... का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूँ एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध(उपबंधों) में जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं यह विवरण.....(पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूँ और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया।

स्थान

हस्ताक्षर.....

सत्यापन

मैंने/हमने*.....(कारबार न्यास का नाम) द्वारा..... को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष में उपार्जित आय और यूनिट धारकों को वितरित आय की विशिष्टियां दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है।

2. मैं यह घोषणा करता हूँ/हम यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं।

स्थान.....

तारीख

.....
(लेखापाल के हस्ताक्षर और नाम)

टिप्पण:

1. "लेखापाल" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है।

2. *जो लागू न हो उसे काट दें।"

प्ररूप सं. 64ख

[नियम 12गक (2)(i) देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115क के अधीन कारबार न्यास द्वारा यूनिट धारक को दी जाने वाली आय का विवरण

1. यूनिट धारक का नाम
2. यूनिट धारक का पता
3. यूनिट धारक का स्थायी लेखा संख्यांक
4. समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष
5. कारबार न्यास का नाम और पता
6. कारबार न्यास का स्थायी लेखा संख्यांक

7. निम्नलिखित प्ररूप में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, कारबार न्यास द्वारा यूनिट धारक को वितरित आय के ब्यौरे :—

क्र.सं.	वितरित रकम	वितरण की तारीख	धारा 10(23चग) में निर्दिष्ट ब्याज की प्रकृति वाली आय की रकम	धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश की प्रकृति वाली आय की रकम	अन्य आय की रकम
1	2	3	4	5	6

मैं.....(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो..... का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूँ एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध(उपबंधों) में जिसके अंतर्गत उपबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं यह विवरण.....(पदनाम) की हैसियत में दे रहा/रही हूँ और मैं यह विवरण देने तथा सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया।

स्थान "।

[अधिसूचना सं. 03/2015/फा. सं. 142/10/2014-टीपीएल]

आशीष कुमार, निदेशक (कर नीति और विधायन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आय-कर (14वां संशोधन) नियम, अधिसूचना का.आ. सं. 3169(अ) तारीख 12-12-2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2015

INCOME-TAX

S.O. 180(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (4) of section 115UA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (1st Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the day of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(A) After rule 12C the following rule shall be inserted, namely:—

“Statement under sub-section (4) of section 115UA.

12CA. (1) The statement of income distributed by a business trust to its unit holder shall be furnished to the Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax within whose jurisdiction the principal office of the business trust is situated, by the 30th November of the financial year following the previous year during which such income is distributed.

Provided that the statement of income distributed shall also be furnished to the unit holder by the 30th June of the financial year following the previous year during which the income is distributed.

(2) The statement of income distributed shall be furnished under sub-section (4) of section 115UA by the business trust to -

(i) the Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax referred to in sub-rule (1), in Form No. 64A, duly verified by an accountant in the manner indicated therein and shall be furnished electronically under digital signature;

(ii) the unit holder in Form No. 64B, duly verified by the person distributing the income on behalf of the business trust in the manner indicated therein.

(3) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedure for filing of Form No. 64A and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements so furnished.”;

(B) in the Appendix II, after the Form No. 64, the following Forms shall be inserted, namely:—

“FORM NO. 64A

[See rule 12CA(2)(i)]

Statement of income distributed by a business trust

To be furnished under section 115UA of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the business trust
2. Address of the registered office
3. Permanent Account Number
4. Previous year ending
5. Name and address of the trustees of the business trust
6. Date of registration of the business trust with SEBI
 - (i) Under the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014
 - (ii) Under the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014
7. Whether the units of the business trust are listed on any recognised stock exchange at any time during previous year Yes/No
8. Aggregate income of the Business trust from all sources (9+11+13)
9. Income by way of interest referred to in section 10(23FC)
10. Proportion of (9 to 8)
11. Income by way of Dividend referred to in section 115-O
12. Proportion of (11 to 8)
13. Income other than that referred to in 9 and 11

14. Proportion of (13 to 8)**15. Details of persons being unit holders, referred to in sub-section (1) of section 115UA to whom the income is distributed, in the following format:—**

S. No.	Name (s)	Address (es)	PAN	Total Amount distributed	Amount of income in the nature of interest referred to in section 10(23FC) Column 5×Sl. No.10	Amount of income in the nature of Dividend referred to in section 115-O Column 5×Sl. No.12	Amount of other income [Column 5×Sl. No.14]
1	2	3	4	5	6	7	8

Enclose a copy of the certificate of registration under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

Enclose a copy of the trust deed registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908).

Enclose audited accounts including balance sheet, annual report if any, with certified copies of income and appropriation towards distribution of income.

I,-----
(Name in full and in block letters) son/daughter/wife of -----
do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as------(designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the _____ day of _____.

Place

Signature

Verification

I/We*_____ have examined the books of account and other documents showing the particulars of income earned and the income distributed to the unit holders by the _____ (name of the Business Trust) for the previous year ending_____.

2. I/We declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.
(Signature with name of the Accountant)

Place

Date

Notes:

1. “Accountant” means the accountant as defined in the *Explanation* to sub-section(2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.
2. *Strike out whichever is not applicable.”.

FORM NO. 64B

[See rule 12CA (2)(ii)]

Statement of income distributed by a business trust**To be provided to the unit holder under section 115UA of the Income-tax Act, 1961**

1. Name of the unit holder
2. Address of the unit holder
3. Permanent Account Number of the unit holder
4. Previous year ending
5. Name and address of the business trust
6. Permanent Account Number of the business trust
7. Details of the income distributed by the business trust to the unit holder, during the previous year, in the following format:—

S. No.	Amount distributed	Date of distribution	Amount of income in the nature of interest referred to in section 10(23FC)	Amount of income in the nature of Dividend referred to in section 115-O	Amount of other income
1	2	3	4	5	6

I, _____ (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of _____ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete. I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as (designation) and that I am competent to furnish this statement and verify it.

Verified today the _____ day of _____ .

Place " " .

Signature

[Notification No. 03/2015/F. No. 142/10/2014-TPL]

ASHISH KUMAR, Director (Tax Policy and Legislation)

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 969, dated the 26th March, 1962 and were last amended by the Income-tax (14th Amendment) Rules, vide notification S.O. No. 3169(E) dated 12-12-2014.